

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

अर्जेंट वाद सं० -26/2023

धारा- 144 द०प्र०स०

संगीता देवी बनाम शनिचर भुईया वगैरह

आदेश

आदेश की
क्र० सं०
और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर
की गई
कार्रवाई के
बारे में
टिप्पणी,
तारीख सहित

19/8/23

अभिलेख उपस्थापित।

यह वाद अंचल अधिकारी, रमकण्डा के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहदी			
				उ०	द०	पु०	प०
कसमार	153	2135	4.10 ए०	नाला	जंगल	रोड	जंगल

उभय पक्षकारों के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया है। आवेदिका के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जॉच प्रतिवेदन राजस्व उपनिरीक्षक स्थल निरीक्षण हाल सर्वे की खाता सं०- 153 प्लॉट सं०- 2135 रकबा- 13.34 ए० भूमि अनाबाद बिहार सरकार की खाते की भूमि है। भूमि किस्म पुरानी परती गैर काबिल आबाद दर्ज है। आवेदिका द्वारा श्री नरसिंह ट्रस्ट राज चैनपुर पलामू कुमार बज्रदेव नारायण सिंह से मानीक साव वो जगेश्वर साव को प्राप्त परवाना दिखाया गया। जिसमें खाता सं०- 02 प्लॉट सं०- 997 रकबा- 3.00 ए० भूमि दर्ज है। द्वितीय पक्ष की ओर से भूमि का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वाद की धारा 144 द०प्र०स० की समयावधि 60 दिन पूर्ण हो चुकी है। इसलिए वाद की कार्रवाही को समाप्त की जाती है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

रंका।

19-08-23